ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **02 April, 2019**

Shri P. Chidambaram, Former Union Minister; Shri Jairam Ramesh, Former Union Minister; Shri Randeep Singh Surjewala, In-charge AICC Communication Deptt and Shri Praveen Chakravarty, Chairman AICC Data Analytics addressed media at AICC Hdqrs, today.

श्री सुरजेवाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस पत्रकार गोष्ठी में देश के पूर्व वित्त मंत्री, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन श्री पी चिदंबरम, हमारे एक और कांग्रेस कार्य समिति और कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य श्री जयराम रमेश, मेरे सहयोगी प्रवीण चक्रवर्ती उपस्थित हैं, हम उनका इस विशेष पत्रकार वार्ता में स्वागत करते हैं।

आज एक ऐतिहासिक जन घोषणा पत्र, जो 2019 के चुनाव के बाद इस देश की दिशा को बदलेगा, आज उसका विमोचन कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया। आप सब उसमें मौजूद थे, बहुत सारे सवाल कांग्रेस अध्यक्ष ने लिए और बहुत सारे सवाल अभी बचे हैं देश की संरचना और देश की दिशा को लेकर। देश की नई दशा और दिशा, उसके निर्माण का ये एक पत्र है, वचन पत्र है और इसीलिए मैं बगैर किसी विलंब के अनुरोध करूँगा श्री पी चिदंबरम जी से कि वो अपनी बात कहें, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद अपनी विशेष शैली और तरीके से श्री जयराम रमेश करेंगे और फिर हम आपके सवाल लेंगे।

Shri P. Chidambaram said at the release function, Congress President has made remarks which I think are quite clear and quite comprehensive. We have released a manifesto of 54 pages what we have heard and read from the people of India and, therefore, we believe this is the narrative which the people want to hear and which the people want to be addressed by future Government. We are confident that a Congress Government has the capacity to implement its manifesto over a period of five years. We are also confident that when this manifesto is

implemented, India will be stronger, more prosperous and there will be a greater distribution of justice. We think, our economy will be stronger, our polity will be stronger and the poverty will be considerably reduced over the five years.

श्री जयराम रमेश ने कहा कि आज आपने कांग्रेस अध्यक्ष को सुना कि इस घोषणा पत्र के पांच बड़े वायदे क्या है और पांचो में 'न्याय' शामिल है। पहला वायदा, गरीब परिवारों के लिए 'न्याय'। दूसरा वायदा, किसानों और खेत मजदूरों के लिए 'न्याय'। तीसरा वायदा, जो बीमार हैं, मरीज है, उनके लिए अस्पताल में 'न्याय'। चौथा वायदा, युवकों के लिए, जो आज बेरोजगार हैं, उनके लिए 'न्याय' और पांचवा जो आज आम जनता डरी हुई है, कालेजों में, युनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में पत्रकार, व्यापारी, उद्योगपति, जिनको धमकाया जा रहा है, कर कानून के तहत, उनको 'न्याय'।

तो ये 'न्याय' सिर्फ एक वायदा नहीं है, पांचो में 'न्याय' शामिल है और यही आज कांग्रेस अध्यक्ष का मुख्य संदेश था। मैं एक बात और कहूँगा कि 2004 में जब हमारा मैनिफेस्टो निकला, तो यही सवाल, जो आजकल ब्लॉग लिखते हैं, उन्होंने यही सवाल उठाए थे कि मनरेगा का पैसा कहां से आएगा? मनरेगा का क्रियान्वयन कैसे होगा, पर मनरेगा का कानून बना, मनरेगा लागू हुआ और पिछले 15 सालों से मनरेगा चल रहा है।

जब 2009 में घोषणा पत्र निकला, खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में यही सवाल उठाया गया, धनराशि कहां से आएगी? इसका इंप्लिमेंटेशन कैसे होगा? पर सितम्बर, 2013 में ऐतिहासिक क्रांतिकारी खाद्य सुरक्षा कानून बना और पिछले 6 सालों से वो कानून लागू हो रहा है।

तो सच्चाई ये है कि 2004 के घोषणा पत्र में, 2009 के घोषणा पत्र में जो हमारे द्वारा बड़े वायदे किए गए थे और वो वायदे नहीं रहे, वो परियोजनाओं में बदले और आज भी आप देख रहे हैं इन दो कानूनों का क्या नतीजा है। तो जो सवाल उठाते हैं, घोषणा पत्र पढ़कर की ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है, ये असंभव है, ये सब बोलने के लिए है। हकीकत ये है कि पांचो वायदों के पीछे गहरी सोच है, होम वर्क किया गया है और जो घोषणा पत्र में हमने लिखा है वो सिर्फ वायदे नहीं हैं, वो हम पूरा करके ही रहेंगे, यही मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा और उन्होंने हाथ उठाकर भी कहा, हमारा चुनाव चिन्ह भी है और ये पांच बड़े वायदे हैं, हमारे घोषणा पत्र में, इनके पीछे गहरी सोच है, कई महीनों का काम भी लगा हुआ है और ये जो सुझाव है, हमने वायदे यहाँ किए हैं, ये सुझाव हमें जनता से मिले हैं।

मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आखिर में कांग्रेस अध्यक्ष ने जो कहा कि ये घोषणा पत्र कांग्रेस के 'मन की बात' नहीं है, ये 'जनता के मन' की बात है। ये बिल्कुल सच्चाई है।

To a question that BJP is saying that the Manifesto is un-implementable, Shri Chidambaram said what do you expect them to say. I concede it is un-implementable by the BJP Government and why do you assume that the future Government cannot implement it. The BJP would not answer and the Prime Minister would not touch on the subjects of jobs, farmers' distress, women and children security, the neglect of public educational institutions; the neglect of public health care institutions. So, why would they concede that it un-implementable? It is implementable by a competent and wise Government and let me say with humility that the Congress will provide a wise and competent Government and implement this manifesto.

On a question that about loan waiver, the Minimum Income Guarantee Scheme and 150 days work under MGNREGA, Shri Chidambaram said- Promises of this manifesto are a five year programme. It does not happen a day after the Government assumes office. The GDP of India has grown from Rs. 32.64 lakh crore, to Rs. 64 lakh crore then to Rs. 124 lakh crore and now to Rs. 210 lakh crore in 2019-20. But by the time the five year period is over, the GDP will have grown to nearly Rs. 400 lakh crore at the current sedate growth rate. If the growth rate quickens, the GDP will grow even faster. So, I think there is enough capacity. We believe that India is at the stage of development, there is enough capacity to attempt ambitious programmes. That is what we have precisely set out. This question was asked when we announced MGNREGA, where will the money come from. This question was asked when we announced loan waiver in 2008, where was the money come from. This question was asked when we said Food Security Act will be rolled out throughout the country, where would the money come from. The money did come. So, the Congress sets ambitious goals but these goals are achievable by wise and competent Government.

श्री जयराम रमेश ने कहा कि अभी-अभी इन्होंने कर्ज माफी की बात उठाई, हमारे घोषणा पत्र के पेज 17 पर आप देखें, कृषि, किसान और कृषि श्रमिक, खेत मजदूरों के बारे में जो विस्तार से हमने वायदे किए हैं, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वायदा ये है, आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अलग से किसान बजट होगा, उसके अलावा इस किसान बजट में क्या होगा, उसका विवरण इसमें दिया गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि आज लोग सिर्फ कर्ज माफी की बात करते हैं और हमने ये वायदा किया है कि कर्ज माफी पहला कदम है, हम कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति की ओर किसान और किसान

परिवारों को ले जाना चाहते हैं। किसान बजट का मकसद सिर्फ कर्ज माफी नहीं है, पर कर्ज मुक्ति कैसे हो, यही सोच किसान बजट के वायदे के पीछे है।

On another question Shri Chidambaram said the BJP's policy was no different from the UPA's policy. Non-core, non-strategic is the standard formulation in India for many-many years- Non-core, non-strategic. We have followed it, I am glad that BJP followed us and if it so happens that we will follow the BJP, we will be actually following our own policy.

To another question on lack of political will in implementing women reservation, Shri Chidambaram said we have promised that we will pass the constitution amendment Bill in Lok Sabha in the first session of the 17th Lok Sabha and state Legislative Assemblies. That is a declaration we have made upfront. There are many parties which will support us upfront, example DMK will support us upfront and I am sure as the weight of this promise sinks in, all the political parties, if enterprising Journalists ask them, what you have to say if you support this Bill ion the first session of the Lok Sabha, I think many of them will say Yes and I urge you to extract that commitment on our behalf and we will pass it in the first session of the Lok Sabha.

On another question as to what will be proper rate of GST for Congress Party, Shri Chidambaram said- I would ask the BJP leaders to read the report of their own Chief Economic Adviser. World over, the GST is a single standard rate. What the BJP introduced is not GST, you can call it by any other name, why call it a GST and give a bad name to GST. GST, world over is a standard single rate and we will follow the practice that is followed in the rest of the world. What the appropriate rate will be, we cannot say now. It is only when the Congress is in Government and the Ministers looked at the data and information. You can arrive at the appropriate rate.

To a question about 'Make for the World' policy in Congress Manifesto, Shri Chidambaram said- the difference is that there are large numbers of world size manufacturing companies which manufacture and sell in many countries of the world. To them the location is decided by a number of factors which are favourable to manufacturing that goods. While the idea of Export Processing Zone issues and Special Economic Zones has some merits and has brought some benefit, the manufacturing in those places are not exclusively for world markets. What we are proposing that we will create Zones where a foreign investor or even an Indian investor can set up his manufacturing facility, but he will export all his manufacture and the reward is lower tax rates. The idea is to promote employment. This is a hugely employment generating idea – one.

Secondly, that Made-in-India goods, already made by owners of other countries – belonging to other country – Made in India goods will go to other markets of

the world e.g. Mercedez Benz Car – I remember Benz Chairman asked me can we make a car in India. You only make Ambassadors–I said we can. Just train our workers. He took the workers to Germany, trained them 6 months and today the Mercedez Benz car is made in India – 100% Made in India, is exported back to Germany. I think this 'Make for the World' is intended to generate huge number of jobs in this country. They will be high paying jobs and we will penetrate world market with Indian made goods.

On a question about sedition in Manifesto, Shri Chidambaram said Sedition is a colonial mean of war, not one but many-many eminent people said sedition must go. First it was said by Pt. Jawaharlal Nehru. This sedition is out dated. We have made other laws e.g. Unlawful Activities Prevention Act. There is also a Defence of India Act. If you look at those provisions carefully, you will find that anything that will come under sedition is already covered by those laws and those laws, there are procedural safeguards. Sedition has no safeguard and we have explained by saying because it has become redundant in subsequent laws. As far as AFSPA is concerned, please read it carefully what you have said about AFSPA, we said we will amend the Law – the word is 'amend the law'. Balancing the rights of security forces, as well as human rights and remove immunity only in three cases, enforced disappearance, sexual violence and torture. I don't think anybody in the 21st century can say that enforced disappearance, sexual violence and torture must be condoned. There is a Supreme Court judgment which has directed enquiries into enforced disappearance in NE etc, but they have said that there are some universal values which cannot be ignored by India. Therefore, we have said immunity will be removed only in cases of enforced disappearance, sexual violence and torture and we will only amend the law to balance the rights. We recognize, as former Home Minister, we recognized the Armed Forces require certain degree of immunity, we also recognized that human rights have to be respected. We need to balance that.

श्री जयराम रमेश ने कहा कि जो घोषणा पत्र में आर्मड फोर्सिस स्पेशल कमीशन एक्ट के बारे में कहा गया है, मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी आपको यह स्पष्ट कर दे, कि अभी-अभी जो चिदंबरम जी ने कहा है कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, उसी को हम लागू करेंगे, जो संशोधन की बात हो रही है, वो सीमित संशोधन है, वो संशोधन उन परिस्थितियों में लागू होगा जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उस जजमेंट के आधार पर ही बातचीत के बाद संशोधन लाया जाएगा, विधेयक लाया जाएगा, इस पर और भी चर्चा होगी, संसद में होगी, संसद के बाहर भी होगी। पर मैं स्पष्ट कर दूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बाहर हम नहीं जाएंगे, जो संशोधन लाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर शत-प्रतिशत वही

होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया है। अगर इस वायदे की आलोचना हो रही है तो ये आलोचना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की हो रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार पार्टी नहीं है, ये भूल रहे हैं कि ये वायदा सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही हमने किया है। जैसे कि अभी चिदंबरम जी ने कहा ये संशोधन बहुत सीमित संशोधन है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में किया गया है।

इसी संदर्भ में श्री सुरजेवाला ने कहा कि राजद्रोह पर आदरणीय चिदंबरम जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये अंग्रेजों के समय का कानून है और उसके बाद देश में डिफेंस ऑफ इंडिया कानून बनाया गया। दुर्भाग्य से जो लोग ना पूरे वकील हैं, ना पूरे वित्त मंत्री उनको इसकी जानकारी नहीं है, वो पढ़ लेते तो अच्छा होता। इसके साथ-साथ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन कानून (Unlawful Activities (Prevention) Act) भी बनाया गया। ये दोनों कानून भारतीय दंड सहिता व क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के प्रति दुराग्रह रखेगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान इनमें है, इसलिए अंग्रेज के कानून को रखने की जरुरत नहीं, जो केवल आजकल पत्रकारों पर या राजनीतिक विरोधियों पर लागू किया जाता है।

श्री रमेश ने कहा कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कानून का जो दुरुप्रयोग हो रहा है, उसके खिलाफ देशद्रोहियों के खिलाफ लागू होना अलग बात है, पर पत्रकारों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, अगर इनके खिलाफ आप ये कानून लगाएंगे तो बिल्कुल ये कानून नहीं होना चाहिए।

इसी संदर्भ में श्री जयराम रमेश ने कहा कि 'न्याय' के ऊपर मैं एक और टिप्पणी करुंगा, जो आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नोटबंदी का जो असर हुआ है, वो नकारात्मक असर हुआ है, पिछले 2 सालों में खास तौर से गरीब परिवारों के लिए जो नोटबंदी हुई थी, उसके नकारात्मक असरों से निपटने के लिए एक मकसद है इस 'न्याय' योजना का। अर्थव्यवस्था से पैसा निकाला गया, ग्रामीण इलाकों से पैसा निकाला गया, कृषि क्षेत्र से पैसा निकाला गया, छोटे और लघु उद्योगों से पैसा निकाला गया, तो सबसे बड़ी चुनौति क्या है नई सरकार की, चुनौति ये है कि जो अर्थव्यवस्था नोटबंदी से पीड़ित है, नोटबंदी से परेशान है, उस अर्थव्यवस्था में नोट डालने की जरुरत है, नोट निकालने की नहीं। इस 'न्याय' योजना को उस नजरिए से भी देखना चाहिए कि यह सिर्फ 'न्याय' नहीं है, सिर्फ कैश ट्रांसफर नहीं है, सिर्फ इंकम सपोर्ट नहीं है, पर ये नोटबंदी के संदर्भ में एक सकारात्मक प्रयास भी है।

एक अन्य प्रश्न पर कि आप करप्शन को मिटाने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे, श्री जयराम रमेश ने कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि लोकपाल 5 साल बाद बनाया गया, जो लोग 2014 में सत्ता में आने के लिए लोकपाल की बात करते थे, 5 साल लगे उन्हें लोकपाल बनाने में और लोकपाल नियुक्त करने में। लोकपाल एकतंत्र है, मै ये नहीं कहता हूं कि लोकपाल की नियुक्ति के बाद करप्शन दूर हो जाएगा। आरटीआई को कमजोर इसलिए किया जा रहा है ताकि करप्शन के बारे में कहानियाँ ना निकालें, सब छुपे रहेंगे, कोई पारदर्शिता नहीं होगी, कोई जवाबदेही नहीं होगी। प्रशासन में करप्शन में दूर करने के लिए जनता के हाथ में आरटीआई एक बहुत बड़ा हथियार है, तो हमारे जमाने में जो कानून बनाए गए थे, खासतौर से आरटीआई का मैंने जिक्र किया, क्योंकि आरटीआई सिर्फ पारदर्शिता के लिए नहीं थी, वो एंटी करप्शन के नजरिए से भी हमने देखा कि आरटीआई बनाना जरुरी है। तो कानून के माध्यम से करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और जो मुद्दे आए हैं, नोटबंदी में घोटाला हुआ है, राफेल में घोटाला हुआ है, जो बड़ी-बड़ी चीजें हैं, इसके बारे में हमने जानकारी दी है, उस पर सरकार की ओर से कोई बात नहीं उठी है, कहा हाँ, सब ठीक है, यही बात उठी है, उस पर जरुर कार्यवाही होगी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि अगर आप नंबर 18 पेज 28 पर देखें, तो उसका जो बिंदु 2 है, उसमें साफ तौर से लिखा है - कांग्रेस शहीदों के परिवारों को मुआवजे की नीति तैयार करने और लागू करने का वचन देती है। इस नीति में पूर्ण वेतन और भत्ते शामिल होंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और उपयुक्त आर्थिक मुआवजा शामिल होगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये भूतपूर्वक सैनिक हैं, भूतपूर्वक सैनिक शहीद नहीं होते? कम से कम आप पढ़िए, दो बार शहीद शब्द आया है और जो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था वो हम लागू करेंगे। इतना ही नहीं जो इस घोषणा पत्र में चिदंबरम साहब ने बात कही है, मैं जरुर कहना चाहूंगा, जो सैनिक फौज से रिटायर होंगे, उनके लिए सीधे आईएएस, आईपीएस में एंट्री के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, जो सेना से 40 वर्ष के बाद रिटायर होंगे, क्योंकि सेना से जो लोग रिटायर होते हैं, उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सिस में शामिल किया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सिस के लिए स्पेशल कमीशन बनाया जाएगा। मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन का वन रैंक पाइव पेंशन बनाया, जो ऑर्डर चिदंबरम साहब ने, जब वो वित्त मंत्री थे और ए.के एंटनी रक्षा मंत्री थे और जो हमारे फौजी सैनिकों के लिए मंजूर है, उस वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाएगा। पहली बार शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए,

भूतपूर्व सैनिकों के लिए नए रास्ते, नए आयाम खोले जाएंगे। मुझे लगता है कि उस हिसाब से ये क्रांतिकारी घोषणा पत्र है।

घोषणा पत्र में हैल्थ इंश्योरेंस पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री जयराम रमेश ने कहा कि आप शाय़द थे नहीं, मैंने आयुष्मान भारत पर एक प्रेस वार्ता की थी और मैंने तब भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी की स्वास्थ नीति, स्वास्थ्य इंश्योरेंस पर आधारित नहीं है। बीमा का रास्ता सही रास्ता नहीं है, बीमा का रास्ता और लोगों को बीमार बनाएगा। बीमा और बीमार दोनों एक साथ जाते थे, तो हम बीमा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य को मूल अधिकार का दर्जा हम देंगे, राईट टू हेल्थ। हमने राईट टू इनफोर्मेशन किया, राईट टू इम्पलोयमेंट किया, राईट टू फूड सिक्योरिटी किया, वन अधिकार अधिनियम लाए, राईट टू एजूकेशन लाए, भूमि अधिग्रहण में सही मुआवजे के लिए एक कानून बनाया, उसी तरह से स्वास्थ्य के लिए राईट टू हेल्थ, ये कांग्रेस अध्यक्ष ने भी आज सुबह कहा, इन 5 में से एक बिंदु जरुर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है और बीमा का उचित रास्ता नहीं है। अस्पतालों का रास्ता है, डॉक्टरों का रास्ता है, दवाईयों का रास्ता है और ये मुफ्त दवाई, मुफ्त टेस्टिंग के आधार पर है। इस सरकार की स्वास्थ्य नीति के दो स्तंब्ध है, एक निजी अस्पताल और दूसरा स्वास्थ्य बीमा, ये दोनों गलत रास्ते हैं और इस रास्ते को कांग्रेस पार्टी नहीं अपनाती।

Sd/-
(Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC